भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 386

सोमवार, 05 फरवरी, 2024 / 16 माघ, 1945 (शक)

निर्माण श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी

386. श्री मोहम्मद फैजल पी.पी.:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में 87 प्रतिशत से अधिक निर्माण श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार की निर्माण श्रमिकों के कार्य से जुड़े उच्च स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए बीमा अनिवार्य बनाने की कोई योजना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, दोनों ही अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण, समीक्षा एवं संशोधन के लिए समुचित सरकारें हैं।

केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें, दोनों ही अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों में मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों जिनमें मजदूरी/ न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने से संबंधित उपबंध शामिल हैं, को प्रवर्तित करने के लिए समुचित सरकारें हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में प्रवर्तन सामान्यत: केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के रूप में नामोदिष्ट मुख्य श्रमायुक्त (कें) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है और राज्य क्षेत्र में इसका अनुपालन राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

जारी...2/-

नामोद्दिष्ट निरीक्षण अधिकारी नियमित निरीक्षण करते हैं और मजदूरी का भुगतान न किए जाने अथवा कम भुगतान किए जाने के किसी मामले का पता लगने पर, वे नियोक्ताओं को मजदूरी की कमी का भुगतान करने का निदेश देते हैं। अनुपालन न होने की स्थिति में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत निर्धारित दांडिक उपबंधों का सहारा लिया जाता है।

(ग) और (घ): भवन एवं अन्य सन्निर्माण (बीओसी) कामगारों के लिए मॉडल कल्याण योजना तथा कार्यान्वयन मशीनरी के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य योजना सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही अग्रेषित कर दी गई है, जिसमें राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र को उनके राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों के माध्यम से निर्माण कामगारों के कल्याण के लिए योजना का अनुपालन करने का कार्य सौंपा गया था एवं राज्य कल्याण बोर्डों से जीवन और निःशक्तता कवर, स्वास्थ्य और प्रसूति कवर, कामगारों के आश्रित बच्चों (वार्ड) के लिए शिक्षा, ट्रांजिट आवास, कौशल विकास, जागरूकता कार्यक्रम और पंजीकृत बीओसी कामगारों को पेंशन सहित इस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है।

इसके अतिरिक्त, बीओसीडब्ल्यू (आरई एंड सीएस) अधिनियम, 1996 की धारा 60 के अंतर्गत समय-समय पर राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों को अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन और बीओसी कामगारों की सामाजिक सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी उपायों के लिए उपकर निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए कई निर्देश भी जारी किए गए हैं जिनमें राज्य कल्याण बोर्डों की कल्याणकारी योजनाओं और केंद्र/ राज्य सरकारों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे पीएम-जेएवाई (आयुष्मान भारत) के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा योजना, पीएम-जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से जीवन और निःशक्तता कवर, पीएम-श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से सुरक्षा बीमा योजना एवं 60 वर्ष के बाद जीवन पर्यंत पेंशन और बीओसी कामगारों के कल्याण के लिए एकत्रित उपकर निधि का उपयोग करके बेरोजगारी, बीमारी, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान निर्वाह भत्ता शामिल है।

*****